

## प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 57/2026)

तत्काल प्रकाशन के लिए

### भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण


भादूविप्रा ने 'व्हीकल टू एवरीथिंग (V2X) संचार के लिए नियामक ढांचा' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 30<sup>th</sup> अप्रैल 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) संचार के लिए नियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(अ) के तहत अपने पत्र दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से भादूविप्रा से व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) के लिए नियामक तंत्र के संबंध पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. इस संबंध में, 'व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) संचार के लिए नियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 28.05.2026 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 11.06.2026 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा, को [advmn@tra.gov.in](mailto:advmn@tra.gov.in) पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

  
(अतुल कुमार चौधरी)  
सचिव, भादूविप्रा